FROM NC. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुक उपखण्ड अधिकारी डूंगला

नाना गाडरी बनाम भूमिधरी किस्म मुकदमा

नं 16/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13/12/24 | प्रार्थी की ओर से कोई श्री प्रह्लाद कुमार वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को प्रार्थना पत्र की नकल सूचना पत्र के साथ भेजी जावे पत्रावली देखने तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक 22/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला | |
| 22/12/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त हुआ जिसमें शामिल पत्रावली किया गया तहसीलदार डूंगला द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि ग्राम सातलियावास के खाता संख्या 62 में वर्णित आराजी नम्बर 141 रकबा 0.2660 है भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी की जाति गाडरी के बजाय कुमावत दर्ज हो गई है जो गलत है तथा वर्तमान खाता सं. 62 में वर्णित आराजी नम्बर 141 में प्रार्थी की जाति कुमावत के बजाय गाडरी शुद्ध किया जाने की अनुमति की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट के तहत सही पाया जाता है। अतः [illegible] स्वीकार किया जाता है। आदेश [illegible] दिनांक सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर रेकार्ड हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.01.03 11:20:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner